न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 215 / 2025 दायर तारीख 08.12.2025

अनवान

1. कमलेशदेवी पत्नि हरीशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र बालिग पेशा खेती निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रंजनादेवी पत्नि नरेन्द्रकुमार जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... विपक्षी

उपस्थित :– 01. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी।
02. पैरोकार सरकार।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 07/ 04/ 2026

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार धाकड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 131–136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम** के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की शामलाती खाते की खातेदारी आराजीयात मौजा ग्राम तिखी पटवार हल्का बिजौलियां खुर्द तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 10 पर अंकित आराजी नम्बर 61 / 1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर शामलाती में खातेदारी हक से हिस्सेनुसार दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त वर्णित भूमि आराजी नम्बर 61 / 1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर हैं किन्तु उक्त भूमि के राजस्व नक्शे में जमाबंदी मे अंकित रकबे के अनुपात मे भूमि तरमीम नही होकर उक्त भूमि का नक्शा छोटा है, जमाबंदी मे अंकित भूमि के रकबे के अनुपात मे नक्शा होना चाहिये जबकि राजस्व नक्शे मे भूमि कम दर्ज रेकार्ड है। यह कि सम्पूर्ण भूमि के पूर्व खातेदार सहित हम प्रार्थीगण वर्तमान समय मे जमाबन्दी मे दर्ज रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर निरन्तर निंविवाद काश्त करते आ रहे है, मौके पर कब्जे को लेकर कोई विवाद नहीं है। केवल राजस्व नक्शे मे जमाबन्दी मे दर्ज रकबे के अनुपात मे भूमि तरमीम नही है। राजस्व नक्शे मे जमाबन्दी मे दर्ज रकबे के बराबर भूमि तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण को उक्त राजस्व रेकार्ड देखने की कोई आवश्यकता नही पडी एवं प्रार्थीगण समझते रहे कि उक्त आराजीयात की राजस्व नक्शे मे भूमि के रकबे के बराबर तरमीम होगी यानि रकबे के अनुपात मे भूमि नक्शे मे तरमीम हो रखी होगी, किन्तु जब दिनांक 19 / 08 / 2025 को प्रार्थीगण द्वारा पटवार हल्का से राजस्व नक्शे से भूमि का नाप

निरन्तर पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

करवाकर भूमि की तरमीम के रकबे के सम्बंध मे जानकारी की तो पता चला कि उक्त आराजीयात की नक्शे मे तरमीम सही नही हैं एंव प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 61/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर की भूमि को नक्शे में करीब 0.1619 हैक्टेयर भूमि कम दर्शा रखी है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त संशोधन कर जमाबंदी में अंकित रकबे के अनुपात मे राजस्व नक्शे मे तरमीम करने हेतु विपक्षी को निवेदन किया गया किन्तु कोई कार्यवाही नही की गई एवं संशोधन से साफ इंकार कर दिया, तब से वादकारण उत्पन्न हो सतत रुप से जारी है। राजस्व नक्शे मे वर्तमान मे प्रार्थीगण का जिस प्रकार कब्जा हैं उसे संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। उसके अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः निवेदन हैं कि मौजा ग्राम तिखी पटवार हल्का बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद मे खाता संख्या 10 पर अंकित आराजी संख्या 61/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व नक्शे के हिसाब से भूमि कम तरमीम हैं, जिसे दुरस्त किया जाकर नक्शे मे आराजी नम्बर 61/1 को रकबे 1.6187 हैक्टेयर के बराबर तरमीम की जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रर्थना पत्र भेज करवायी गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी रिपोर्ट/क्रमांक/राजस्व/2026/382 दिनांक 18/03/2026 में अंकित किया कि भू०अ०नि० बिजौलियां खुर्द एवं पटवारी हल्का बिजौलियां खुर्द की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा अनुसार प्रकरण संख्या 215/2025 अन्तर्गत धारा 131–136 की पालना में ग्राम तीखी की आ0नं0 61/1 रकबा 1.6187 है० भूमि वादियागण खातेदार कमलेशदेवी पत्नी हरिशचन्द्र धाकड सा. लक्ष्मीखेडा 1/2 रंजनादेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार धाकड सा. लक्ष्मीखेडा 1/2 को पूर्व में सूचित कर मौका निरीक्षण किया गया। आदेशानुसार पटवार हल्का के पास उपलब्ध राजस्व नक्शा लठ्ठा में उक्त आराजी की तरमीम का परीक्षण किया गया। तरमीम की गुणिया व कंघी से रकबा बरारी की गई। नक्शां लठ्ठा में उक्त आराजी की तरमीम 1.6187 है० के स्थान पर 1.3331 है0 ही पायी गई हैं जो जमाबन्दी में दर्ज रकबे 1.6187 है0 के मुकाबले 0.2856 है० तरमीम कम है। भूमि आवंटन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। आ०नं० 61/1 के राजस्व नक्शा लठ्ठा अनुसार दर्ज तरमीम अनुसार आराजी के दक्षिण व पश्चिम में अन्य ग्रामो की वन विभाग की भूमि व उत्तर दिशा में अन्य खातेदारो की खातेदारी भूमि स्थित होकर नक्शे में दर्ज है। उक्त आराजी नं0 61/1 के पूर्व में बिलानाम आराजी नं. 61 रकबा 5.2447 है० भूमि स्थित हैं जिसमें उक्त कम तरमीम 0.2856 है० को बढाया जाता है तो वादियागणो के जमाबन्दी में दर्ज रकबे 1.6187 है0 के मुकाबले सही तरमीम की जा सकती है। मौके पर किसी प्रकार की आपति नही पायी गयी है। सलंग्न नक्शा ट्रेस में इसे लाल स्याही से दर्शायी गयी है।

अतः उक्तानुसार रिपोर्ट की प्रति, मौका पर्चा, जमाबन्दी नकल की प्रतियां संलग्न किया जो शामिल पत्रावली हैं।

न्यायालय उप खण्ड ...

निरन्तर पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी आ0नं0 61/1 ग्राम तिखी प0ह0 बिजौलियां खुर्द सम्वत् 2076 से 2079, नकल जमाबन्दी खा.सं. 1 आ0नं0 61 ग्राम तिखी प0ह0 बिजौलियां खुर्द सम्वत् 2076 से 2079, नकल नक्शा (खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी) की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस में प्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम तिखी पटवार हल्का बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद मे खाता संख्या 10 पर अंकित आराजी संख्या 61/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व नक्शे के हिसाब से भूमि कम तरमीम हैं, जिसे दुरस्त किया जाकर नक्शे मे आराजी नम्बर 61/1 को रकबे 1.6187 हैक्टेयर के बराबर तरमीम करवाना चाहा हैं। पैरोकार सरकार ने बहस में बताया कि आराजी नम्बर 61/1 जो जमाबन्दी में दर्ज रकबे 1.6187 है0 के मुकाबले 0.2856 है० तरमीम कम है। उक्त आराजी नं0 61/1 के पूर्व में बिलानाम आराजी नं. 61 रकबा 5.2447 है० भूमि स्थित हैं जिसमें उक्त कम तरमीम 0.2856 है० को बढाया जाता है तो वादियागणो के जमाबन्दी में दर्ज रकबे 1.6187 है0 के मुकाबले सही तरमीम की जा सकती है। मौके पर किसी प्रकार की आपति नही होना बताया है। जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेज एवं पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पैरोकार सरकार के जवाब एवं दस्तावेज के आधार पर स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम तिखी पटवार हल्का बिजौलियांखुर्द तहसील बिजौलियां की सरहद मे खाता संख्या 10 पर अंकित आराजी संख्या 61/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भूमि के मुकाबले 0.2856 है० तरमीम कम है। जिसको उक्त आराजी नं0 61/1 के पूर्व में बिलानाम आराजी नं. 61 रकबा 5.2447 है० भूमि में से उक्त कम तरमीम 0.2856 है० को नक्शे में बढाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 07/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां